CERTIFICATE OF LAND

File No. 81

Date: 9/7/25

Certified that the land measuring 5,500/- Sq Meter is owned by the **Institute of Advance**Management and Technology Society 103, Arya Nagar S.K. Road Meerut by way of Regd Deed.

It is further certified that owner of the land has leased the said land to Rama Social Reforms & Educational Society 224, Arya Nagar S.K. Road Meerut (Name of the School/Society/Trust/Company under Section 8 of companies Act, 2013) fully described in the schedule mentioned hereinafter with the following details for a period of 30 years from 01-10-2003 to 30-09-2033.

SL	Particulars	Details
1-	Plot No. (s)/ Survey No. (s)/ Khasra No.(s)/ Khata No.(s)/ Khatauni No.(s)	Khasra No. 995 Khata No.37/ Village Abdullapur
2-	Name of street/village , sub Division, District and state	Abdullapur Meerut

It is certified that the said entire land comprise of a single contiguous plot of land. It is further certified that RAMA PUBLIC SCHOOL, Khasra No. 955, Kila Road Abdullapur Meerut. (Name of the School with name of street, village, sub-division and district) run by RAMA SOCIAL REFORMS & EDUCATIONAL SOCIETY MEERUT (Society/Trust/Company under Section 8 of companies Act, 2013) is located on the said plot of land.

THE SCHEDULED OF LAND ABOVE REFERRED TO

All that piece and parcel of land measuring 5,500/- Sq Meters (area of land in square meters) situated in Khasra No. 955 [Plot No. (s)/ Survey No. (s)/ Khasra No. (s)] at Abdullapur Meerut (name of street/village, sub division, district and state) and bounded as follows:

North: IAMT (Society) 325 ft.

East: DO 182.5 fit

West: Road 182.5 ft

South: IAMT (Society) 325 ft.

Stamp and Signature of the state of the stat

(Name of Officer)

उपनिबन्धक सदर, मेरठ

014560



The Institution of Engineers (India)

By virtue of Qualification, Professional training and Corporate Membership of this Institution


RABI AKHTAR

OF

CIVIL ENGINEERING DIVISION

is hereby authorised to use the style and title of

Chartered Engineer [India]



Dated 26-11-2019

Canada Director Gene



कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मेरठ पत्रांक / प्रबन्ध / 8 42 - 45 /2018 - 19 दिनांक: - 21 / 04 / 10

(कार्यालय–आदेश)

कार्यालय पत्रांक—मान्यता / 679—82 / 2015—16 / दिनांक 18.04.2015 के द्वारा रामा पब्लिक स्कूल, अब्दुल्लापुर, किला परीक्षितगढ रोड, मेरठ को नर्सरी से कक्षा 08 तक (अंग्रेजी माध्यम) को शैक्षिक सत्र—2015—16 से शैक्षिक सत्र 2017—18 तक तीन वर्ष के लिये अनंतिम मान्यता प्रदान की गई थी।

विद्यालय प्रबन्धक के पत्र दिनांक 19.04.2018 के द्वारा उक्त मान्यता को स्थाई करने के अनुरोध

किया है।

प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-418/79-6-2013-8 एस (7)/89 शिक्षा

अनुभाग-6, लखनऊ दिनांक 08.05.2013 के प्रस्तर 13 में निम्नांकित प्रविधान दिया है।

"प्रथमत्या निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अविध में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गई हैं के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गई है" का प्राविधान है।

उक्त संस्था के विरूद्ध कार्यालय को पिछले तीन वर्ष में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इस लिए कार्यालय पत्रांक-मान्यता / 679-82 / 2015-16 / दिनांक 18.04.2015 द्वारा निर्गत मान्यता को

शासनादेश में दिये गय प्राविधानों के अनुरूप स्थाई मान्यता समझा जाये।

पृ०सं०/प्रबन्ध/ 242-45

/2018-19 दिनांक:-

प्रतिलिपि:--निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित।

- 1. शिक्षा निदेशक बेसिक उ०प्र० निशातगंज, लखनऊ।
- 2. अपर शिक्षा निदेशक बेसिक, इलाहाबाद।
- सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) प्रथम मण्डल, मेरठ।
- 4. प्रबन्धक, रामा पब्लिक स्कूल, अब्दुल्लापुर, किला परीक्षितगढ रोड, (मेरठ)।

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मेरठ।

पत्रांक-मान्यता /679-82

/2015-16

दिनांक:- 18/04/15

प्रबन्धक,

रामा पब्लिक स्कूल,

अब्दुल्लापुर, किला परीक्षितगढ़ रोड,

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय / महोदया.

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं रामा पब्लिक स्कूल, अब्दुल्लापुर, किला परीक्षितगढ़ रोड, मेरठ नगर क्षेत्र मेरठ को शैक्षिक सत्र 2015–16 से शैक्षिक सत्र 2017-18 तक तीन वर्ष की अवधि के लिये नर्सरी से कक्षा 08 तक के लिये अंग्रेजी माध्यम की अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्यधीन है-

- 1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता / संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनिमय 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार—नियम 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- 3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा–विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
- 4. पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उप धारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5. सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपीटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिगं प्रकिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
- 6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगाः—
 - I. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा. या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - II. किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
 - III. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

- ा∨ं प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा≬
- V. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
- VI. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती हैं परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिसके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हतायें नहीं हैं, 5 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हतायें अर्जित करेगें।
- VII. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेगा।
- VIII. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन किया कलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- 7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यकम का पालन करेगा।
- 8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं :--
 - ➤ विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल :-
 - कुल निर्मित क्षेत्र :-
 - कीड़ा—स्थल का क्षेत्रफल :- शेष
 - कक्षाओं की संख्या :- 10
 - प्राध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भंडागार के लिए कक्ष :- उपलब्ध है
 - 🕨 बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय :— उपलब्ध है
 - ▶ पेयजल सुविधा :- है
 - ➤ मिड—डे—मील पकाने के लिए रसोई :- है
 - 🎾 बाधारहित पहुंच :- है
 - अध्यापन पाठन सामग्री / कीड़ा खेलकूद उपस्करों / पुस्तकालय की उपलब्धता :- है
- 9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर— मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलायी जायेंगी।
- 10.विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा—स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जायेगा।
- 11.विद्यालय को सोसाइटी रिजस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रिजस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जायेगा।

ਕਿਹਾਰਿਧ के लेखाओं की किसी चार्टेंड एकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए, और उसके द्वारा प्रमाणित किया ्_{ताना} चाहिए, तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति पत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

- 14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
- 15.विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेंगे जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की किमयों को दूर करने के लिये जारी किये जाए।
- 16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।
- 17. उपरोक्त के अतिरिक्त कालान्तर में मान्यता शर्तों के उल्लंघन का कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो प्रदत्त मान्यता निरस्त समझी जायेगी तथा विधिक कार्यवाही की जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धक का होगां।

भवदीय

जिला बेसिक दि

पु०सं० / मान्यता /

दिनांकः—तदैव। /2015-16

प्रतिलिपि:- निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शिक्षा निदेशक (बेसिक) निशात गंज, लखनऊ।

- 2. शिक्षा निदेशक (बेसिक) शिक्षा सामान्य अनुभाग-2, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
- सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) प्रथम मण्डल, मेर्ठ।

(जीर्वेन्द्र सिंह ऐरी) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मेरठ।